राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांकः– एफ.वी.3( )निगो / गो.पं.न.सु. / मं.मु.ब.घो. / 2016 / 2396-2409 दिनांक :– 20.3.2017

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग,
अजमेर, भीलवाडा, नागौर, धौलपुर,
करौली, जयपुर, अलवर, झुन्झुनूं,
जैसलमेर, बाडमेर, पाली, बांसवाडा,
प्रतापगढ एवं उप निदेशक,
पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी (राज.)।

विषय :– गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि के उपयोग के सम्बन्ध में गौशालाओं में आवासित गौवंश के पालन–पोषण हेतु सहायता दिये जाने बाबत।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक 208–42 दिनांक 11.01.2017.

उपरोक्त विषयान्तर्गत गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 व उसके अन्तर्गत जारी परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के अनुरूप पात्र गौशाला / कांजी हाऊस में संधारित गौवंश को सहायता राशि दिये जाने हेतु निदेशालय पशुपालन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 16005–37 / 11.01.2017 के द्वारा प्रथम चरण में आपके जिले को बजट राशि का आवंटन किया गया था।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए आपके जिले को आवंटित बजट राशि के विरूद्ध आई.एम.एफ.एस. से आदिनांक तक प्राप्त सूचना के आधार पर वित्तीय प्रगति की सूचना **शून्य** है। बजट राशि 45 दिवस की प्रथम किश्त हेतु आवंटित की गई थी जिसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात द्वितीय किश्त की राशि इसी वित्तीय वर्ष में आवंटित की जानी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धौलपुर, जैसलमेर, बाडमेर एवं बांसवाडा जिले में एक भी गौशाला की प्रशासनिक स्वीकृति आदिनांक तक जारी नहीं हुई है।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि गौशालाओं से प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में कमी पूर्ति का अभियान चलाकर गौशालाओं को सहायता राशि के वितरण एवं आवंटित बजट राशि के उपयोग में गति लावें। समय पर राशि का उपयोग नहीं होने पर यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसके लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.वी.3( )निगो / गो.पं.न.सु. / मं.मु.ब.घो. / 2016 / दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय गोपालन, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, अजमेर, भीलवाडा, नागौर, धौलपुर, करौली, जयपुर, अलवर, झुन्झुनूं, जैसलमेर, बाडमेर, पाली, बांसवाडा एवं प्रतापगढ।
5. सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर।

शासन उप सचिव